रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240147 CG-DL-E-09112022-240147

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] No. 282] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2022

सं. 35 / 2015-2020

विषय : आरबीआई के ए.पी., (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समाकालिक पक्रिया पुस्तक के पैरा 5.11 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/32/एएम-19/पी.सी.II (बी)/ई-17430.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 5.11 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा

5.11: निर्यात से आय की प्राप्ति

अध्याय—7 के तहत मान्य निर्यात आपूर्तियों को छोड़कर निर्यात आय, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त की जाएगी। एसईजेड इकाईयों को किया गया निर्यात / डेवलपर्स / को—डेवलपर्स को की गई आपूर्तियों को आय की मुद्रा कोई भी होने के बावजूद निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए गिना जाएगा। एसईजेड इकाईयों को की गई आपूर्तियों के मामले में आय को एसईजेड इकाई की विदेशी मुद्रा खाते से प्राप्त किया जाएगा।

संशोधित पैरा

5.11: निर्यात से आय की प्राप्ति

अध्याय—7 के अंतर्गत मान्य निर्यात आपूर्तियों को छोड़कर निर्यात आय विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 के अनुसार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रूपयें में प्राप्त की जाएगी। एसईजेड इकाईयों को किया गया निर्यात / डेवलपर्स / को—डेवलपर्स को की गई आपूर्तियों को आय की मुद्रा कुछ भी होने के बावजूद निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए गिना जाएगा। एसईजेड इकाईयों को की गई आपूर्ति के मामले में आय को एसईजेड इकाई की विदेशी मुद्रा खाते से प्राप्त किया जाएगा।

7454 GI/2022 (1)

2. सार्वजिनक सूचना का प्रभावः आरबीआई के ए.पी. (डीआई सीरीज़) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात आयात हेतु भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के बीजक, भुगतान और निपटान, को अनुमत करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक पैरा 5.11 में सं"गोधन किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

No. 35/2015-2020

Subject: Amendments in Para 5.11 of the HBP in sync with RBI A.P.(DIR Series) Circular No.10 dated 11th July 2022

F. No. 01/93/180/32/AM-19/PC.II(B)/E-17430.—In exercise of the powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 5.11 of the Handbook of Procedures 2015-20, with immediate effect, in sync with the RBI's A.P. (DIR Series) Circular No.10 dated 11th July, 2022:

Existing Para	Revised Para
5.11: Realization of Export proceeds	5.11: Realization of Export proceeds
Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except for deemed exports supplies under Chapter 7. Exports to SEZ units /Supplies to developers/ codevelopers irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of Export Obligation. Realization in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit.	Export proceeds shall be realized in freely convertible currency or in Indian Rupees as per para 2.53 of FTP, except for deemed exports supplies under Chapter 7. Exports to SEZ units /Supplies to developers/ codevelopers irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of Export Obligation. Realization in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit.

2. **Effect of Public Notice:** Amendment in Para 5.11 of the HBP are notified, to permit the Invoicing, payment and settlement of exports and imports in INR for Export Proceeds under EPCG Scheme, in sync with RBI's A.P. (DIR Series) Circular No. 10 dated 11th July, 2022. This shall come into force with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.